## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती करूणा लाड़ोती ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 18 / 2024

जी.सी.एम.एस.संख्या :— 2024 / 262

| प्रार्थी | विप्रार्थी |
|---|---|
| 1. आसुराम पिता जेता गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर<br>2. छगन पिता केसुराम गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर<br>3. तुलसी पुत्री हांसा गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर<br>4. दुदाराम पिता बरदा गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर<br>5. धन्ना पिता हांसा गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर<br>6. पन्नालाल पिता गुलाब गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर<br>7. भोजाराम पिता जेता गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर<br>8. लेहरी पत्नि जेता गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर<br>9. सुखलाल पिता गुलाब गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर<br>10. संतोकी पत्नि गुलाब गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर | 1. कैलाश कंवर पत्नि जयसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर<br>2. किशना पिता उदा गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर<br>3. गेहरू पिता हीरा गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर<br>4. जब्बरसिंह पिता हमीरसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर<br>5. दल्लुबाई पत्नि छग्गु गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर<br>6. धन्ना पिता मोटा गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर<br>7. नारायणलाल पिता पेमा गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर<br>8. नारायणलाल पिता पिथा गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर<br>9. पूर्णसिंह पिता हमीरसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर<br>10. प्रताप पिता मोटा गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर<br>11. प्रभु पिता मोटा गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर<br>12. पारसी पुत्री छग्गु गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर<br>13. बदामी पुत्री हीरा गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर<br>14. भोजा पिता उदा गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर<br>15. मांगीया पुत्र उदा गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर<br>16. रायमल पिता पेमा गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर<br>17. लक्ष्मण पिता पिथा गुर्जर निवासी झलामली तहसील राययुर<br>18. लालाराम पिता पेमा गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर<br>19. सुखा पिता हीरा गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर<br>20. हेमी पुत्री मोटा गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर<br>21. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर<br>22. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर |

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

## राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. सुनिल बापना, प्रार्थी अधिवक्ता
2. जाकिर हुसैन रंगरेज, अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 लगायत 21
3. मनीष दाधीच, अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 22
4. विप्रार्थी संख्या 1 एकपक्षीय

–: निर्णय :– दिनांक 8-1-2026

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है, कि राजस्व ग्राम झलामली पटवार हल्का बागड़ के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की निम्न कृषि आराजियात स्थित है –

| क.स. | ग्राम का नाम | खाता संख्या | आराजी संख्या | रकबा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | झलामली | 4 | 195 | 0.62 |
| 2 | झलामली | 4 | 232 | 0.12 |
| 3 | झलामली | 4 | 233 | 0.03 |
| 4 | झलामली | 4 | 234 | 0.03 |
| 5 | झलामली | 4 | 235 | 0.17 |
| 6 | झलामली | 4 | 236 | 0.16 |
| 7 | झलामली | 4 | 237 | 0.23 |
| 8 | झलामली | 4 | 238 | 0.10 |
| 9 | झलामली | 4 | 239 | 0.04 |
| 10 | झलामली | 4 | 240 | 0.19 |
| 11 | झलामली | 4 | 241 | 0.30 |
| 12 | झलामली | 4 | 242 | 0.23 |
| 13 | झलामली | 4 | 243 | 0.04 |
| 14 | झलामली | 4 | 244 | 0.23 |
| 15 | झलामली | 4 | 259 | 0.27 |
| 16 | झलामली | 4 | 260 | 0.26 |
| 17 | झलामली | 4 | 261 | 0.21 |
| 18 | झलामली | 4 | 262 | 0.07 |
| 19 | झलामली | 4 | 263 | 0.05 |
| 20 | झलामली | 4 | 264 | 0.17 |
| 21 | झलामली | 4 | 265 | 0.38 |
| 22 | झलामली | 4 | 266 | 0.09 |
| 23 | झलामली | 4 | 267 | 0.11 |
| 24 | झलामली | 4 | 268 | 0.17 |
| 25 | झलामली | 4 | 269 | 0.11 |
| 26 | झलामली | 4 | 270 | 0.11 |
| 27 | झलामली | 4 | 271 | 0.05 |
| | **कुल किता कुल रकबा** | | **27** | **4.54** |

प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 व नक्शा ट्रेस पेश की है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में आवागमन का एक मात्र विद्यमान रास्ता ग्राम झलामली आराजी संख्या 162 चारागाह भूमि से होते हुए विपक्षी संख्या 1 लगायत 21 की आराजी संख्या 199 रकबा 0.13 है0 भूमि किस्म गै.मु. रास्ता से होकर वर्षो पुराना रास्ता स्थित है। जिससे प्रार्थीगण अपने खेतो से आवागमन कर फसल काश्त कर फसल लाभ ले रहे है। पूर्व में भी प्रार्थीगण इसी रास्ते से आवागमन कर रहे है तथा इसी रास्ते से अपने संज बैल, ट्रेक्टर आदि ले जाते है। प्रार्थीगण की आराजी संख्या में उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण

सहायक कलक्टर
(...) ...,रायपुर

के विद्यमान 15 फीट चौड़ाई के रास्ते को संलग्न नजरी नक्शे में सुविधा की दृष्टि से स्याही से दर्शाया गया है। अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन हेतु वर्षो पुराना रास्ता ग्राम झलामली में जाने के लिए के लिए 15 फीट चौड़ाई में विपक्षी संख्या 1 लगायत 21 की आराजी संख्या 199 रकबा 0.13 है0 भूमि किस्म गै.मु. रास्ता को बिलानाम सरकारी गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को प्रदान किया जावे।

02. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1, 22 तामील होने के बावजूद उपस्थित नही होने से दिनांक 06.11.20225 को एकतरफा कार्यवाही की गई व विप्रार्थी संख्या 2 लगायत 21 की ओर से अधिवक्ता जाकिर हुसैन रंगरेज द्वारा अधिकार पत्र पेश किया तथा विप्रार्थी संख्या 2, 3, 5 से 8, 10 लगायत 21 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं विप्रार्थी संख्या 4, 9, की तरफ से जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब दिनांक 06.11.2025 को बन्द किया गया तथा विप्रार्थी संख्या 23 तहसीलदार रायपुर द्वारा निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो शामिल मिसल हैं।

03. विप्रार्थी संख्या 2, 3, 5 से 8, 10 लगायत 21 की जवाब में अंकन किया कि प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन का रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 199 में न तो कभी था व न ही वर्तमान में है। प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन का रास्ता उनकी आराजी संख्या 267, 268, 269, 233, 234 से लगती हुई उनके भाईयो की आरजियात से लगता हुआ है जो सरकारी रास्ता की आराजी संख्या 407 से होकता हुआ आराजी संख्या 209, 211, 212, 227, 228 से प्रार्थीगण की आराजियात में जाता है जिससे वर्षो से आवागमन करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण ने झुटा प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 1, 4, 9 से सांठ गांठ कर, विपक्षी संख्या 1, 4, 9 ने प्रार्थीगण से विपक्षीगण की उक्त आराजी में अवैध रास्ता कायम कराने के लिए मजरा केसरपुरा (कोलीखेड़ा) में आबादी भूमि प्राप्त कर ली जो गलत होकर अवैध है। प्रार्थीगण ने ग्राम झलामली से बिलानाम चरनोट की आराजी संख्या 162 से रास्ता बताते हुए विपक्षीगण की आराजी में रास्ते की मांग की है जबकि उनके द्वारा बिलानाम आराजी संख्या 162 में रास्ता दर्ज करने की कोई दाद नही चाही गयी है जिससे विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण को कोई रास्ता दिया जाना संभव नही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावें।

04. न्यायालय नें पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 199, में से 15 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। तहसीलदार रायपुर ने जरिए पत्रांक/राजस्व/1036 दिनांक 15.09.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट, नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार :–

i. यह है कि उक्त आराजी में मौके पर रास्ता बना हुआ है।

ii. यह है कि उक्त आराजी में आने–जाने का रास्ता खुला होकर आवागमन चालु है। आराजी संख्या 162 चारागाह में होकर आराजी संख्या 199 गै.मु.रास्ता से आवागमन किया जा रहा है। मौके पर उक्त विवादित रास्ते के अलावा आने–जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नही है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

iv. वर्तमान प्रार्थीयो द्वारा आवेदित रास्ते से ही होकर आवागमन किया जा रहा है।

v. उक्त रास्ते के आराजी संख्या 199 रकबा 0.13 है0 का सम्पूर्ण हिस्सा आता है व डीएलसीदर सम्पूर्ण विवरण के साथ संलग्न है।

vi. यह है कि चाहा गया रास्ते का नक्शा साथ संलग्न है।

vii. यह है कि मौका रिपोर्ट उभयपक्षो की उपस्थिति में तैयार की गई।

viii. प्रस्तावित रास्ते का विवरण निम्नानुसार है :–

| क्र. स. | नाम ग्राम | आराजी संख्या | कुल रकबा | रास्ते हेतु क्षेत्रफल | प्रस्तावित | प्रस्तावित रास्ते की भौगोलिक स्थिति | भूमि की डीएलसी दर | भूमि की कुल कीमत | भूमि की दुगुनी कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ल.X चौ. | क्षेत्रफल | | | | |
| 1 | झलामली | 199 | 0.13 | राजस्व नक्शे में आ.स. 199 पूर्व से ही रास्ते में दर्ज है | 0.13 है. | समतल | 2360000 | 30680 | 61360 |

05. पश्चात् प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी संख्या 195 से 271 तक कुल 27 आराजी के लिए रास्ता चाहा गया है। आराजी संख्या 162 चारागाह है एवं आराजी संख्या 199 विपक्षीगणो की आराजी है। रास्ता मौके पर खुला हुआ है। आराजी संख्या 199 रकबा 0.13 है0 भूमि गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज है, खाते में दर्ज होने से रूकावट करते है। राजस्व रेकार्ड में लिया जाए। मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता नही है। बिलानाम रास्ता दर्ज किया जाए ताकि भविष्य में रूकावट न पैदा हो।

06. विपक्षी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी से लगती हुई आराजी संख्या 407 रास्ता है। आराजी संख्या 407 से आवागमन है। आबादी में मकान था जो रासते के एवज में लेकर 251ए का प्रार्थना पत्र पेश करा दिया। विभाजन का वाद विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र अस्पष्ट है। आराजी संख्या 162 में काई रास्ता दर्ज नही है जिसमें रास्ता मांगा है। विभाजन के वाद के निर्णय तक इसका निस्तारण नही किया जाना चाहिए। मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते का अंकन नही है।

07. प्रार्थी अधिवक्ता की द्वारा विपक्षी अधिवक्ता की बहस पर पुनः बहस की गई जिसमें बताया कि विपक्षी अधिवक्ता द्वारा बहस के साथ कोई दस्तावेज नही प्रस्तुत किये गये। मकान विकय का कोई दस्तावेज नही प्रस्तुत किया। मौका रिपोर्ट विपक्षीगणो के समक्ष बनी है। रास्ता पहले से बना हुआ है। भाईयों के आराजी की जमाबन्दी आदि पेश नही की है।

08. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु न्यायालय धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझता है, जिसके अनुसारः–

**धारा 251क**– <u>अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना</u> :– (1) जहाँ – कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुँचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है, –

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही हो पाता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी अपनी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि –

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है, कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

09. चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि आराजियात खाता संख्या 4 में अंकित कुल 27 आराजियात में आवागमन हेंतु राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं, अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि आराजी संख्या 199 रकबा 0.13 है0 भूमि किस्म गै.मु. रास्ता है तथा रास्ते के उपयोग में आ रही है। उक्त विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान में इसी रास्ते से आववागमन किया जा रहा है जो मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। विप्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते का रकबा 0.13 है0 बनता हैं, जो खसरा संख्या 199 में होकर गुजरता है। मौके पर रास्ता बना हुआ है एवं वर्तमान में चालु है। प्रार्थीगण इसी रास्ते आवागमन कर रहे है। उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में दर्शित रास्ता उपयुक्त एवं व्यावहारिक प्रतीत होता हैं।

10. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु वांछित रास्ता उपलब्ध करवाना अधिक उपयुक्त है,अतः हम प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही के लिए यहां राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प.3(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं,जिसके अनुसारः–

यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचने के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग का विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है,तो ऐसे

सहायक कलक्टर
(फा.ट्रे.) ओ.डी. रायपुर

खातेदार द्वारा ऐसे सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जॉच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव हैं। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई। कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकार लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूप से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौड़ा नहीं होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलेखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।

उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार रायपुर द्वारा संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता 15 फीट चौड़ाई का कुल रकबा 0.13 है0 है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि आराजियात में आवागमन के लिए रास्ता की आवश्यता है। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में आवागमन में संज, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि से किया जाता है जो प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है। प्रार्थीगण को उक्त साधन के आवागमन के लिए 15 फीट चौड़ाई में रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थीगण द्वारा आवागमन किया जा सकेगा। प्रार्थीगण की अपनी कृषि आराजियात में आवागमन हेतु 15 फीट चौड़ाई का कुल रकबा 0.13 है भूमि की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर --236000/—रूपये प्रति हैक्टयर के अनुसार प्रतिकर हेतु दुगूनी देय राशि– 61360/—रूपये बनती है, जिसको प्रार्थीगण राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है, न्यायालय द्वारा जारी स्थगन प्रार्थना पत्र के निस्तारण से निर्णय दिनांक से अप्राभी रहेगा। अतः न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

## —: आदेश :—

**उपर्युक्त** विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है, तथा ग्राम झालामली पटवार हल्का बागड़ के खाता संख्या आ.स. 4 में अंकित आराजियात कुल किता 27 कुल रकबा 4.54 है0 भूमि में पहुंच हेतु खसरा संख्या 199 रकबा 0.13 है0 सम्पूर्ण, भूमि संलग्न नक्शानुसार 15 फीट चौड़ाई में सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार रायपुर को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 61360/—(अक्षरे इगसठ हजार तीन सौ साठ) रूपयें की राशि विपक्षीगण खातेदारान को भुगतान करवाए जाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे एवं आराजियात पर इसी प्रकरण से सम्बधित स्थगन आदेश को हटाया जाकर, मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीगण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भण्डार हो।

(करूणा लाड़ोती)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 8-1-26 को सर—ए—इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा